कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा

निविदा संख्या 9633 में क्र.सं. 01 – स्वर्ण पदको के निर्माण एवं आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा सूचना संख्या–एफ–4 ( )/सा.प्र./निविदा/कोविको/2015/9633 दिनांकः 14/08/15

कार्य का नाम	:	**स्वर्ण पदको की आपूर्ति हेतु दर अनुबन्ध**
निविदा कार्य की अवधि	:	एक वर्ष
निविदा शुल्क	:	रू. 500/– नकद एवं रू. 550/– बैंक ड्राफ्ट (डाक) द्वारा
ारोहर राशि	:	रू. 16000/– (अक्षरे रू. सोलह हजार मात्र)
निविदा विक्रय की तिथि	:	दिनांकः 17/08/15 प्रातः 11.00 बजे से 24/08/15 दोप. 1.00 बजे
निविदा जमा करने की तिथि	:	दिनांकः 24/08/15 समय दोपहर 2.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	:	दिनांकः 24/08/15 समय सायं 3.00 बजे

वित्त नियंत्रक
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

स्वर्ण पदक आपूर्ति हेतु निविदा – प्रपत्र
वर्ष ....

1. पूर्ण रूप से भरे निविदा प्रपत्र कुलसचिव कोटा विश्वविद्यालय, महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा को दिनांक .... को दोपहर 2.00 बजे तक रजिस्ट्र्ड डाक अथवा व्यक्तिशः पहुॅच जाने चाहिए।
2. निविदा प्रपत्र के साथ बयाना राशि रू. .... बैक ड्राफ्ट के रूप में सलग्न करनी होगी।
3. बिना बयाना राशि एवं विलम्ब से प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्रों पर कोई विचार नही किया जाएगा। इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
4. प्राप्त निविदायें निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष .... को दोपहर पश्चात 3.00 बजे खोली जाएगी। आपूर्ति कार्यादेश दिनांक से 15 दिवस के अन्दर देना अनिवार्य होगा।
5. किसी भी निविदा को कोई कारण बताए स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्तारक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा।

वित्त नियंत्रक

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा

निविदा प्रपत्र

I .... (वस्तुओं का नाम जिसके लिये निविदा प्रस्तुत की गई है) के लिये निविदा।

II निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता .... फोन न. फेक्ट्री .... आवास ....

III किसको सम्बोधित किया गया – कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय कोटा

IV संदर्भ विज्ञापन संख्या ....

V निविदा शुल्क की राशि रू. 500/– नकद रसीद संख्या ....एवं दिनांक .... के द्वारा अथवा रेखांकित डिमान्ड ड्राफ्ट संख्या 550/– दिनांक .... के द्वारा जमा करा दी गयी है।

VI हम विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गयी उक्त निविदा सूचना की अत्तिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए है)

VII निम्नलिखित सामग्री की सप्लाई के लिए दरें निम्न प्रकार होगी तथा प्रदाय की जाने वाली सामग्री की मात्रा सामने अंकित की गयी है।

सामग्री का नाम मय विशेष विवरण (स्पेसिकेशन)	मात्रा	कीमत (उत्पाद शुल्क, कोर्टेज पैकिंग, आदि को शामिल करते हुए) केन्द्रीय बिक्री कर, राजस्थान ब्रिक्री कर, चुंगी कर, यदि कोई हो। इनमें से डिस्काउण्ट/छूट (रिबेट) को घटा कर शुद्ध मूल्य	दर	
			अंकों में	शब्दों में
1. वर्ष 2010, 2011, 2012, 2013 एवं 2014 के लिये 20 ग्राम चांदी युक्त 2 इंच व्यास के वृत्ताकार मेडल के ऊपर गाढ़ी स्वर्ण पालिश युक्त स्वर्ण पदक,	284			

VIII फर्म द्वारा, आदेश प्राप्त करने के दिनांक से .... की अवधि के भीतर सामग्री की सुपुर्दगी कर दी जाएगी। सामग्री की सुपुर्दगी निम्न प्रकार से की जाएगी :– (यदि आवश्यक हो तो)

1. मात्रा .... अवधि / दिनांक, यदि कोई हो ....
2. मात्रा .... अवधि / दिनांक, यदि कोई हो ....
3. मात्रा .... अवधि / दिनांक, यदि कोई हो ....
4. मात्रा .... अवधि / दिनांक, यदि कोई हो ....

ऊपर उद्वत की गयी दरें .... तक के लिए विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट रू. .... जो बैंक का नाम ....दिनांक .... पर आहरित किया गया है बयाना राशि के साथ संलग्न किया जाता है। इसके साथ नवीनतम आयकर चुकती प्रमाण पत्र, बिक्री कर की पंजीयन संख्या एवं बिक्री कर चुकती प्रामण पत्र प्रस्तुत किये जाते है।

विनिर्माता / डीलर के साक्ष्य में प्रमाण पत्र संलग्न किये जाते है।

The Gold Medal will contain 20 Gms. Silver with thick Gold polish in 2" dia as per design prescribed by the University. The Medal will contain Logo of the University and University's Name and on Backside of the medal, Name of student, Programme, Title and year of passing the Examination will be engraved.

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

निविदादाताओं के लिये घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते है कि मैने/हमने जिन मालो/स्टोर्स /सामानो के लिए निविदा दी है, उनका/ उनके मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल सेलिंग एजेन्ट हूं/है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि को पूर्ण रूप से समपश्चात कर लिया जायेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावेगा।

स्थान :
दिनांक :

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

<u>कोटा विश्वविद्यालय, कोटा</u>

<u>निविदा एवं संविदा की शर्ते</u>

आवश्यक टिप्पणी :– निविदाकार को निविदा में अपनी दरें देते समय इन शर्तों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।

पदक की विशेषताएं एवं शर्ते :–

1. निविदादाता को 20 ग्राम चांदी युक्त 2 इंच व्यास (Diameter) के गाढ़ी (Thick) स्वर्ण पॉलिस (Gold-Polish) युक्त स्वर्ण–पदक जिसके ऊपर रिंग का हुक भी (अलग) लगा होना चाहिए तथा मेडल के दोनों तरफ भली भांति सोने की पॉलिस की हुई होनी चाहिए।
2. प्रत्येक पदक के एक तरफ विश्वविद्यालय का मोनोग्राम डाई के द्वारा बनेगा एवं पदक के दूसरी तरफ छात्र का नाम, परीक्षा का नाम एवं वर्ष आदि का अंकन खुदाई द्वारा होगा।
3. प्रत्येक पदक को एक मखमली डिबिया जिसकी कीमत भी सकल दर में शामिल होगी, में आपूर्ति करनी होगी।
4. पदक में प्रयुक्त धातु की जॉच एम. आर. ई. सी., जयपुर अथवा मान्यता प्राप्त अन्य किसी संस्थान /प्रयोगशाला से कराई जायेगी एवं रिपोर्ट प्राप्त होने पर बिल का भुगतान किया जावेगा।
5. पदकों की आपूर्ति विश्वविद्यालय में लेखा शाखा के अनुभाग अधिकारी (वित्त एवं लेखा) के कार्यालय में स्वयं के खर्चे पर करनी होगी।
6. विश्वविद्यालय के मोनोग्राम की डाई स्वयं के खर्चे से बनानी होगी।
7. आदेश देने के दिनांक से 15 दिवस की अवधि में पदक तैयार कर कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को आपूर्ति करनी होगी।
8. सफल निविदाकार को राशि रू. 100 मात्र (रू. सौ मात्र) के नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पर विश्वविद्यालय से अनुबन्ध करना होगा।
9. न्यूनतम दर पर कार्य दिया जाना आवश्यक नही होगा।
10. किसी भी विवाद की स्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों को मान्य होगा।
11. दरें निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करके भेजी जानी चाहिए।
12. लिफाफे के ऊपर ''पदक के लिए निविदा– 2015'' साफ अक्षरों में लाल स्याही से लिखा जाए।
13. मांगी गई वस्तुओं /सामग्री के लिए माल उत्तम किस्म का प्रयोग में लेना होगा।
14. दरों की इकाईयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नही किया जाना चाहिए और दरें अंको के साथ शब्दों में भी अवश्य लिखी जानी चाहिए।
15. निविदा उन फर्मों /व्यापारियों द्वारा ही जो या तो उन वस्तुओं / सामान/ साज – सज्जा / मशीनों आदि के लिए रजिस्टर्ड /अनुमोदित प्रदायक है, या उनके द्वारा जो उस सामान का जिसके लिए निविदा दी जा रही है, वास्तव में व्यवसाय कर रहें हो, दी जानी चाहिए।
16. अनुमोदित प्रदायक के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले सामान सम्बन्धी शर्ते विस्तृत विवरण, आकार, में और रेखा–चित्रों आदि की सावधानी पूर्व जॉच कर ली है। यदि उसको इस शर्तो या विस्तृत, विवरण, रेखा –चित्रों आदि के अर्थ के सम्बन्ध में कोई सन्देह हो तो उसे अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व प्रभारी अधिकारी से पूछताछ कर लेनी चाहिए और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिए।
17. निविदाकार अपनी निविदा अथवा उसके सारमूल के किसी भी भाग को न तो किसी एजेन्सी को सौप सकेगा ओर न ही किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा।

18. प्रदाय किया गया सम्पूर्ण सामान व्यापार चिह्न के अनुसार सर्वोच्तम किस्म का ही स्वीकृत प्रमाणिक नमूनों से पूरी तरह मेल खाता हुआ होना चाहिए। सामान की किस्म के सम्बन्ध में स्वीकृत देने वाले प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा तथा निविदाकार को मान्य होगा। प्रदाय की जाने वाली वस्तुओ को अस्वीकृत अथवा बदले जाने के कारण प्रदायकों को हानि हो, तो वह पूर्ण रूप से निविदाकार के जिम्मे होगी।

19. केता अधिकारी अथवा उसका यथावत प्राधिकृत प्रतिनिधि सब उचित समयों पर प्रदायक के भू–गृह आदि (प्रेमिसेज) में जा सकेगा और सब उचित समयों सामान की तथा वस्तुओं की बनावट की जॉच और परीक्षा करने के लिए वह सक्षम होगा। निविदाकार को अपने कार्यालय, गोदाम तथा वर्कशाप एवं उस व्यक्ति का नाम व पूरा पता देना चाहिए, जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

20. यदि वांछित किस्म, मेंक या परिमाण के अलावा सामान का अन्यथा प्रदाय होता है तो वह अस्वीकार कर दिया जायेगा तथा प्रदायक को बिना किसी अतिरिक्त मूल्य के उचित समय का बदला जाना संभव न हो तो ऐसी वस्तुओं का मूल्य यथोचित रूप से काट कर दिया जायेगा। केता अधिकारी द्वारा नियम किए गये मूल्य अन्तिम होगें।

21. अस्वीकृत वस्तुओं को अस्वीकृति की तारीख से 15 दिवस के भीतर उनके स्थान से निविदा देने वाले द्वारा अवश्य हटा लिया जाना चाहिए।

22. निविदाकार सामान के ठीक – ठीक पैकिंग के लिए उत्तरदायी होगा। यदि उसमें कोई कमी पाई जायेगी तो ऐसी हानि या कमी को पूरा करने के लिए निविदाकार उत्तरदायी होगा। इसके कारण कोई अतिरिक्त राशि नही दी जाएगी।

23. समस्त उदृत दरें एफ. ओ. आर. डेस्टिनेशन होनी चाहिए और उनमें समस्त कर शामिल होने चाहिए तथा विश्वविद्यालय द्वारा कोई गाड़ी – भाड़ा या परिवहन व्यय नही दिया जाएगा तथा सामान की सुपुर्दगी विश्वविद्यालय में केन्द्रीय भण्डार में की जायेगी।

24. निविदाकार जिसकी निविदा स्वीकार की गई, आदेश की तारीख से 15 दिवस की अवधि के भीतर वस्तुओं के प्रदाय की व्यवस्था करेगा। निविदा में दर्शायी गई मात्रा अनुमानित है वस्तुओ के प्रदाय की मात्रा आवश्यकतानुसार बढ़ाई /घटाई जा सकती है, जो निविदाकार को मान्य होगी।

25. वस्तुओं का प्रदाय विश्वविद्यालय की सन्तुष्टि पर नही होने से प्रदाय की संविदा किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।

26. निविदा स्याही से भरी जानी चाहिए। पेन्सिल से या अन्यथा भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नही किया जाएगा। निविदा में कोई परिवर्तन तथा परिवर्धन नही किये जाने चाहिए। कोई उपरिलेखन (ओवर – राइटिंग) नही किया जाना चाहिए। शुद्धियां, यदि कोई हो, स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए तथा उन पर लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

27. निविदाकार की निविदा और करार की शर्तों और प्रतिबंधों की स्वीकृति के प्रतीक स्वरूप निविदा के प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अन्त में हस्ताक्षर करने चाहिए।

28. निविदा के साथ धरोहर राशि के निविदानुसार रू. .... (अक्षरे रू. .... मात्र) का डी.डी. (डिमाण्ड ड्राफ्ट) कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के पक्ष में देय संलग्न होना चाहिए।

29. सफल निविदाकारों को निर्धारित प्रपत्र में एक सप्ताह के भीतर एक करार निष्पादित (एक्जीक्यूट) करना पडेगा और संविदा की यथावत क्रियान्विति के लिए निविदानुसार रू. .... (अक्षरे रू. ....मात्र) प्रतिभूति के रूप में जमा करवाने पड़ेगें। प्रतिभूति की रकम सम्मत (एग्रीड़) ठेके के पूर्ण होने की तारीख से 6 माह पश्चात लौटा दी जाएगी। ऐसी प्रतिभूति की रकम पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई ब्याज नही दिया जायेगा। निबन्धनों तथा शर्तों को भंग करने या ठेके को असन्तोषप्रद ढंग से पूरा करने पर धरोहर राशि / प्रतिभूति केता अधिकारी द्वारा पूर्णतया अथवा अंशतः जब्त कर ली जायेगी तथा इस संबंध में केता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

30. फर्मो को किये गये संदाय पर विप्रेषण व्यय (रेमिटेंस चार्जेज) संविदाकारों द्वारा वहन किया जायेगा।

31. निविदाकार द्वारा सामान की सप्लाई विनिर्दिष्ट समय के भीतर न करने पर क्रेता अधिकारी को अधिकार होगा कि वह निविदाकार को सूचना दिये बिना उसकी जोखिम पर, माल या उसका कोई भाग कहीं से खरीद लें तथा इस प्रकार होने वाली हानि को निविदाकार को वहन करनी होगी तथा इस प्रकार किये गये क्रय पर यदि कोई लाभ होगा तो निविदाकार उसका हकदार नही होगा।

32. निविदाकारों अथवा उनके प्रतिनिधियों की ओर से अप्रत्यक्ष रूप से की जाने वाली संयाजना के कारण संविदा अमान्य हो जायेगी।

33. किसी भी निविदा को स्वीकार करने में विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक नही है कि वह न्यूनतम निविदा ही हो। विश्वविद्यालय के पास किसी भी निविदा को बिना कारण अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

34. निविदाकार निविदा के साथ अपरिहार्य रूप से संबंधित सर्किल के आयकर अधिकारी से प्राप्त आयकर शोधन प्रमाण पत्र, बिक्री कर, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की संख्या तथा संबंधित बिक्री कर / वाणिज्यिक कर अधिकारी का बिक्री कर शोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें जिनके बिना निविदा पर विचार ही नही किया जा सकेगा। परन्तु, यदि क्रेता प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण हो, (जिन्हे अभिलिखित किया जाना चाहिए) कि निविदाकार आयकर तथा बिक्रीकर का शोधन प्रमाण पत्र किन्ही वास्तविक कारणों से नही दे सका है, तो प्राधिकारी निविदा पर विचार कर सकता है, परन्तु वह निविदाकार को उक्त प्रमाण पत्र बाद में प्रस्तुत करने के लिए कह देगा। किन्तु प्रमाण पत्र हर दशा में संविदा का इकरार नामा निष्पादित करने से पूर्व, प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए।

35. बी.पी.पी. द्वारा भेजी गई कोई रेल्वे रसीद तथा बैंक बिलटी भी स्वीकार नही की जाएगी।

36. समस्त कानूनी कार्यवाहियां, यदि किसी भी पक्ष (संविदाकार) अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित किये जाने की आवश्यकता पड़े, कोटा में स्थित न्यायालयों में ही प्रारम्भ करनी होगी, किसी अन्य स्थान पर नही।

37. किसी वस्तु की मात्रा सम्पूर्ण अथवा आंशिक रूप से बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है।

38. प्रदायक चाहे तो वस्तुओ का किसी भी प्रकार से होने वाली हानि आदि के लिए बीमा अपने स्वयं के खर्चे पर करा सकता है।

39. स्वर्ण पदक निर्माण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अग्रिम राशि नही दी जावेगी ।

निविदाकार के हस्ताक्षर
(मय सील)